प्रेस नोट

थाना नवाबाद, जनपद झांसी

दिनांक 27.01.2026

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही**
- **धोखाधड़ी से जालसाजी कर फर्जी कूटरचित बैनामा तैयार कराने वाला अपराधी गिरफ्तार,**
- **गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 27.01.2026 को थाना नवाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त *रामखिलौने अहिरवार पुत्र बालगोविन्द निवासी ग्राम लोहागढ़ (लोहारी) थाना समथर झाँसी हाल पता वार्ड न. 29 गुमनावारा कुआ के पास थाना नबावाद झाँसी उम्र करीब 44 वर्ष* को मोहल्ला गुमनावारा में अग्रवाल समोसा की दुकान के सामने से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबाद पर मु0अ0सं0 **456/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) BNS** पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 17.11.2025 को आवेदिका श्रीमती सुनीता पत्नी श्री बृजेन्द्र, निवासी पारीछा, तहसील व जनपद झाँसी, हाल निवासी पिछोर, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी द्वारा थाना नवाबाद पर दी गई तहरीर के आधार पर अवगत कराया गया कि आवेदिका द्वारा वर्ष 2013 में क्रय किए गए आवासीय मकान की देखरेख हेतु उसमें निवास कर रहे अभियुक्त रामखिलौने द्वारा उक्त आवासीय मकान को अपनी पैतृक भूमि बताते हुए धोखाधड़ीपूर्वक जालसाजी कर फर्जी एवं कूटरचित बैनामा तैयार कर अभियुक्त

चन्द्र प्रताप पुत्र कालीचरन, निवासी 431 बी.जी.एम. स्कूल, शिवाजीनगर, थाना नवाबाद, जनपद झाँसी के पक्ष में बैनामा कर दिया गया तथा वादिया को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके संबंध में थाना नवाबाद पर बनाम अभियुक्तगण रामखिलौने पुत्र अज्ञात, चन्द्र प्रताप पुत्र कालीचरन निवासी 431 बी.जी.एम. स्कूल शिवाजीनगर थाना नवाबाद जनपद झाँसी, शिवम सोनी पुत्र सतीश चन्द्र निवासी कटरा बाजार थाना मोठ जनपद झाँसी तथा देशराज पुत्र सोनीलाल अहिरवार निवासी बुढ़ा तहसील व जनपद झाँसी के विरुद्ध अपराध संख्या 456/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/351(3) BNS पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -</u>

1. उ०नि० श्री प्रदीप कुमार चौकी प्रभारी जेल थाना नवाबाद जनपद झाँसी

2. का0 1842 भवतोष कुमार थाना नवाबाद जनपद झाँसी